न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः–   42 / 2024

आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. अलवर।

–आवेदक

बनाम

श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बनवारी लाल (मालिक एवं विक्रेता) निवासी हरसौरा रोड, बानसूर, अलवर।
मैसर्स– राजेन्द्र प्रसाद, हरसौरा रोड, बानसूर, अलवर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 18/12/25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसिमदीन द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि कि मैं आवेदक दिनांक 21.06.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा था। मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 45 पर अंकित है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 / 10.08.2011 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है एवं श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निर्देशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर के पदस्थापन आदेश 625 दिनांक 17.07.2019 के द्वारा मुझे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर में पदस्थापित किया गया है। अतः अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ परिवाद के साथ संलग्न है।
2. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.06.2022 को दोपहर बाद बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.06.2022 को दोपहर बाद बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग एवं जांच दल सहित मैसर्स– राजेन्द्र प्रसाद, हरसौरा रोड, बानसूर, अलवर पर पहुंचा। उक्त प्रतिष्ठान पर विक्रेता को अपना परिचय देकर उक्त विक्रेता से प्रतिष्ठान के मालिक का नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं अपना नाम श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बनवारी लाल (मालिक एवं विक्रेता) निवासी– हरसौरा रोड, बानसूर, अलवर का होना बताया। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नही होना जाहिर किया।
3. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान पर पीपे में लगभग 5 किलो काजू टुकडी विक्री वास्ते रखा हुआ मिला उसमे मिलावट का शक होने पर उसमे से नमूना जाँच हेतु 2 किलो काजू टुकडी क्रय करने की इच्छा फार्म नं0 5ए देकर व्यक्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवायें एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त खरीदशुदा काजू टुकडी की कीमत विक्रेता को मौके पर रु 600/– (अक्षरे छ सौ रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 किलो काजू टुकडी को हिला मिलाकर चार अलग अलग साफ सूखी सकडे मूंह कि बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर उनको एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेवल तैयार कर उन पर श्रीमान् डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक बी–6413 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–6413 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को प्रत्येक बोतल पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।
5. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाया एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जो कि न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील किया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म सं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर, सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो नमूना भाग (ii व iii भाग) मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के पत्रांक 246 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ काजू टुकडी अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जॉच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के समक्ष अभियोजन स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किये। श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा समस्त पत्रावली का अवलोकन, विचार एवं मनन करने के वाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्र क्रमांक 618 दिनांक 29–11–22 द्वारा प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में माननीय न्याय न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) काजू टुकडी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

10. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। गैर सायलान की तल्वी हेतु नोटिस जारी किया गया तथा अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब पेश किया। अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ काजू टुकडी अन्य खरीददार से खरीद कर वेचते है। खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है।

11. पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ काजू टुकडी का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में खाद्य पदार्थ अन्य खरीददार से खरीद कर वेचान करना वताया गया लेकिन

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। इस कारण से अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बनवारी लाल (मालिक एवं विक्रेता) निवासी हरसौरा रोड, बानसूर, अलवर मैसर्स– राजेन्द्र प्रसाद, हरसौरा रोड, बानसूर, अलवर। पर ......25000/-......शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(कोटपूतली-बहरोड़)
कोटपूतली